न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी:– साधुराम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
02/19	01.01.2019	21.01.2019

1 रामप्रसाद पुत्र केहरसिंह जाति अहीर निवासी सानोली तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
–वादी

बनाम

1 रामकिशन
2 रामनिवास पुत्रान गोरधन जातियान अहीर निवासी सानोली तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर राज0।

– प्रतिवादीगण

दावा– अन्तर्गत इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इंद्राज वो हु0 ई0 दवामी

उपस्थिति– श्री पृथ्वीसिंह यादव वकील वादी

–:निर्णय:–

दिनांक :– 21.01.2019

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा की विवादित आराजी ख0 नं0 290/0.25 हैक0 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर मे स्थित होकर साबिक ख0 नं0 652/198 से पैमूद हुआ है। उक्त विवादित आराजी पिछले 60–65 साल पूर्व हम वादीगण व प्रतिवादीगण की सामलाती कब्जे काश्त की आराजी थी। जो हमारे पूर्वज कुडिया के नाम दर्ज रही है। उसके बाद पीछले 50–55 वर्षो पूर्व जब बटवारी मे विवादित आराजी हमारे हिस्से मे आयी थी तब से आज तक लगातार वादी काबिज काश्त चला आ रहा है व प्रतिवादीगण का कोई लेना–देना व संबंध, सरोकार नही है लेकिन राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पूर्वज गोरधन पुत्र बुधाराम के नाम का अंकन सहवन से गैरखातेदार के रूप मे दर्ज हो गया जो आज तक दर्ज चला आ रहा है जबकि वक्त लागू होने राज0 टिन0 एक्ट 1955 एवं संशोधन अधि0 1959 तथा राज0 काश्त0 अधि0 तथा संशोधन अधि0 1961 के लागू होने के समय से मिनवादी के पूर्वज ही काबिज काश्त चले आ रहे है

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

इसलिए कानूनन वादी व वादी के पूर्वज पिछले 60–65 सालो से काबिज काश्त रहने के कारण स्वतः ही खातेदारी काश्तकारी अधिकार प्राप्त हो गये है। मात्र राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम गैरखातेदार के रूप मे दर्ज चला आ रहा है जो खिलाफ कानून व खिलाफ मौका दर्ज है इसलिए मिनवादी रिकार्ड दुरूस्त कराकर अपने नाम का अंकन दर्ज कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने आज तक विवादित आराजी पर कभी काश्त नही की है तथा वादी को कभी राजस्व रिकार्ड देखने की आवश्यकता नही पडी लेकिन अब दिनांक 13.12.2017 को केडिट कार्ड बनावाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया व नकल प्राप्त की तो उक्त गलत इंद्राज की जानकारी हुई जिससे प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से सम्पर्क किया तथा रिकार्ड दुरूस्त कराने बावत कहा तो साल भर से आज कल आज कल करते रहे ओर दिनांक 23.12.2018 को रिकार्ड दुरूस्त कराने से मना कर दिया। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है। जबकि मिनवादी का कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। मात्र राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीगण के नाम गैरखातेदारी गलत इंद्राज है जो मिनवादी के हक हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर है, नाकाबिल पाबन्दी है, यदि प्रतिवादीगण अपने मन्सूबे मे कामयाब हो गये तो मिनवादी को अजहद क्षति होगी इसलिए वादी प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है का निवेदन करते हुए डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इस अमर की पारित कि जावे कि विवादित हाल खसरा नंबर 290/0.25 हैक0 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर का मिनवादी को कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड मे दर्ज प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम का गैरखातेदार के अंकन को हजफ कर मिनवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबन्द किया जावे की वादपत्र के पैरा संख्या 1 मे वर्णित आराजी का रहन, बय आदि से मुन्तकिल करे ना ही मिनवादी के काश्त कार्य मे मजाहमत पैदा करे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी सख्या 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना इकबाल जवाब दावा पेश किया। वादी के वाद के जिम्मनो को स्वीकारते हुए इकबाल जवाब का सारतः रहा की विवादित आराजी कई सालो से वादी के कब्जे काश्त मे है तथा राजस्व रिकार्ड मे हमारे नाम का जो अंकन है उसे हजफ कर वादी के नाम का अंकन कर दिया जाता है तो हम सहमत है तथा हमे कोई आपत्ति नही है। हम वादी व प्रतिवादी एक परिवार के सदस्य

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

रहे है। आपसी बटवारे के आधार पर वादी के हिस्से आयी आराजी पर वादी पिछले 50–55 सालो से काविज काश्त है का निवेदन करते हुए वादी का वाद डिक्री फरमा दिया जावे हमे कोई एतराज नही है का निवेदन रहा। ठीक इसी प्रकार पैरोकार सरकार/ तहसीलदार मुण्डावर का जवाब पेश होकर शामिल पत्रावली है। मुताबिक जवाब सरकार साबिक खसरा नं0 652/198 से हाल खसरा नंबर बना होना वादी स्वयं साबित करे आदि आदि का अंकन करते हुए खातेदारी घोषित कराने बाबत वादी अपने वाद को स्वयं सिद्व करे का निवेदन रहा।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद मे मौखिक साक्ष्यस्वरूप स्वयं का शपथपत्र पी0 डब्ल्यू–1, ओमप्रकाश पी0 डब्ल्यू–2, हुक्मसिंह पी0 डब्ल्यू–3 एवं रिकार्डेड साक्ष्य स्वरूप नकल खसरा गिरादवरी संवत् 2074 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी संवत् 2032 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संवत् 2039 प्रदर्श–3, नकल हाल जमाबन्दी संवत् 2072–75 प्रदर्श–4,11 नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी संवत् 2009–12 प्रदर्श–6, नकल जमाबन्दी संवत् 2013 प्रदर्श–7, नकल जमाबन्दी संवत् 2017 प्रदर्श–8, नकल जमाबन्दी संवत् 2029 प्रदर्श–9, शपथपत्र वादी रामप्रसाद प्रदर्श–12 एवं मौकापर्चा रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 15.01.2019 प्रदर्श–13 पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिम्मनो को दौहराते हुए विवादित आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण के शामलाती कब्जे काश्त की आराजी होना, पिछले 50–55 सालो पूर्व से विवादित आराजी बटवारे मे वादी के हिस्से आना ओर तब से आज तक लगातार वादी काबिज काश्त चला आ रहा होना, प्रतिवादीगण का कोई लेना–देना व संबंध व सरोकार नही होना एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्वज गोरधन पुत्र बुधाराम के नाम का अंकन सहवन से गैरखातेदार के रूप मे दर्ज होना ओर आज तक दर्ज चला आ रहा होना जबकि वक्त लागू होने राज0 टीन0 एक्ट 1955 एवं संशोधन अधि0 1959 के लागू होने के समय से वादी के पूर्वज ही काबिज काश्त चले आ रहे होना आदि का अभिकथन करते हुए प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की ओर से हाजिर अदालत आकर जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाबदावा पेश कर दिये जाने एवं मुताबिक इकबाल जवाब वादी के वादपत्र के जिम्मनो को स्वीकार करते हुए विवादित आराजी पर पिछले कई सालो से वादीगण द्वारा कब्जे काश्त किया जाना राजस्व रिकार्ड मे हमारे नाम का अंकन है उसे हजफ कर वादीगण के नाम का नाम का अंकन कर दिये जाने बाबत की सहमति जाहिर करते हुए एक ही परिवार के

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

सदस्य रहे है अंकित करते हुए वादी के 50–55 वर्षो से काबिज होने का अभिकथन करते हुए वादी का वाद डिक्री फरमा दिया जावे हमे कोई एतराज नही है को दौहराते हुए प्रस्तुत जवाब पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब के जिम्मनो मे साक्ष्य सबूत से वादी स्वयं साबित करे वर्तमान मे मौके पर मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट वादी काबिज काश्त है अंकित करते हुए वादी किस आधार पर खातेदारी काश्तकारी घोषित कराने बाबत वादी स्वयं सिद्व करे को दौहराते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य पी0 डब्ल्यू0–1, 2, 3 एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 लगायत 13 के आधार पर वादी के वाद को डिक्री किये जाने का अभिकथन किया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गयी, पत्रावली एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा वाद को महत्वपूर्ण व सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कर दिये जाने की स्थिति मे यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाता है। चूंकि वादी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात के साथ साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2009–2012 प्रदर्श–6 अनुसार कालम सं0 4 मे अंकित सुबेदार सदा व शेरअली वल्द कालेखां ठींकुंर मुसलमान चौहान सा0 देह मालिक कब्जा हकदार सामलात कुडिया मुन्दर्जे खैवट नंबर 15 एवं कालम सं0 5 मे अंकित मकबूजे सरकार के आधार पर उक्त विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 290 रकबा 0.25 हैक्टेयर वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर साबिक खसरा नं0 652/198 से पैमूद होकर कस्टोडियन आराजी रही है। जो वर्तमान मे भिवाडी औधोगिक विकास प्राधिकरण (BIDA/UIT) क्षेत्र मे स्थित है। इस प्रकार विवादित भूमि कस्टोडियन भूमि रही होने की स्थिति मे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से कस्टोडियन फीस वसूली योग्य होकर वादी द्वारा वादपत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष को वादी प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

अतः वादी द्वारा वाद को महत्वपूर्ण व सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कर दिये जाने की स्थिति मे वाद स्वीकार योग्य पाये जाने पर हाल आराजी खसरा नंबर 290 रकबा 0.25 हैक्टेयर वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत का वादी का वाद डिक्री किया जाता है, हाल रिकार्ड मे अंकित प्रतिवादी

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज गैरखातेदार के अंकन को हजफ करने के आदेश दिये जाते है तथा वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है चूंकि विवादित आराजी कस्टोडियन आराजी होकर वर्तमान मे भिवाडी औधोगिक विकास प्राधिकरण (BIDA/UIT) क्षेत्र मे स्थित होन से नियमानुसार देय कस्टोडियन शुल्क वादी तहसीलदार कार्यालय मुण्डावर मे जमा करावे। जिस हेतु कस्टोडियन फीस की गणना कर राशि जमा कराये जाने तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो। वादी द्वारा बाद अदायगी देय कस्टोडियन शुल्क जमा राजकोष कराये जाने के बाबत की रिपोर्ट तहसीलदार मुण्डावर से प्राप्त होने उपरान्त पृथक से पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

21/1/19

(साधूराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक पदेन कलक्टर (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner